भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **2337** जिसका उत्तर

गुरूवार, 05 **मार्च**, 2020/15 फाल्गुन, 1941 (शक) को दिया जाना है

महाराष्ट्र में पत्तन की स्थापना

2337. श्री ए.के.पी. चिनराजः

क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के वधावन में एक पत्तन स्थापित करने की अनुमति दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) बनाया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना हेतु आय/निवेश के स्रोत का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वाणिज्यिक प्रचालन के लिए पत्तन को कब तक तैयार किया जाएगा?

उत्तर

पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री मनसुख मांडविया)

(क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) के एक प्रमुख साझेदार के रूप में कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित एक विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) द्वारा महाराष्ट्र में वधावन पर भू-स्वामी मॉडल पर एक पत्तन का विकास करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

(ग) इस परियोजना को इक्विटी और ऋण के एक सम्मिश्रण से वित्तपोषित करने का प्रस्ताव है। एसपीवी इक्विटी उपलब्ध करवायेगी तथा बहुस्तरीय वित्तीय संस्थानों से ऋण जुटायेगी।

(घ) इस परियोजना को दो चरणों में पूरा करने की योजना बनाई गई है। प्रथम चरण को आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां तथा निवेश अनुमोदन प्राप्त होने की स्थिति में पांच वर्षों में प्रचालन के लिए तैयार करने की योजना है।

******